प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

सूचना

सभी चिकित्सक/शिक्षकगण,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

विदित हो कि स्वास्थ्य विभागीय पत्र संख्या – 1424 (2) दिनांक – 14.12.18 द्वारा यह सूचित किया गया है कि विभागीय वेबसाईअ पर प्रकाशित चिकित्सकों/शिक्षकों की सूची में यदि किसी प्रकार की आपत्ति है, तो इस संदर्भ में अपनी आपत्ति विभागीय वेबसाइट पर एक सप्ताह के अन्दर दर्ज कराना सुनिश्चित किया जाए ।

पत्र की छाया प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/–
प्राचार्य

ज्ञापांकः– 2754/18 दिनांकः– 17-12-18

प्रतिलिपिः–

1) श्री अनिल कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
2) अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
3) सभी विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
4) सभी चिकित्सक/शिक्षक, सभी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
5) आई0टी0 सेक्शन, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

17/12/18
प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

संचिका सं०–2/एम–78/2018– 1424(2)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार,
अधीक्षक,
सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक,
स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना
निदेशक,
लोकनायक जय प्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल राजवंशीनगर, पटना ।
अधीक्षक,
न्यू गार्डिनर रोड, सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, पटना।
निदेशक,
राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।

पटना, दिनांक 14 / 12/ 2018

विषय : विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित चिकित्सकों की सूची पर आपत्ति दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से चिकित्सकों की सूची विहित प्रपत्र में विभाग को प्राप्त हुई है, जिसमें निम्नांकित सूचनाऐं दर्ज हैं–

(1) नाम
(2) सिविल लिस्ट सं०/नियुक्ति की अधिसूचना दिनांक सहित
(3) पदनाम
(4) गृह जिला
(5) प्रकार (सामान्य/विशेषज्ञ)
(6) आरक्षण कोटि (अनारक्षित/एससी/एसटी/बीसी/एम.बी.सी. इत्यादि) नियुक्ति के आधार पर।
(7) नियमित/संविदा
(8) HRIS Person Id (अगर बनाया गया हो)
(9) जिला/संस्थान में पदस्थापन स्थान एवं तिथि
(10) जिला में वास्तविक पदस्थापन स्थान (अगर प्रतिनियुक्ति किया गया हो तो)

2. उक्त सूचनाओ को समेकित करते हुए सूची विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित की गयी है। उक्त समेकित सूची में अगर आपके चिकित्सा संस्थान में कार्यरत चिकित्सको के संबंध में दर्ज सूचनाओं में यदि कोई गलत सूचना अंकित हो तो इस संबंध मे अपनी आपत्ति विभागीय वेबसाईट पर www.health-bih@nic.in प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अंदर दर्ज करना सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त सूचनाओं मे से आरक्षण कोटि के संबंध में विशेष रूप से जाँच कर ली जाय इसी आरक्षण कोटि के आधार पर आगे विभाग स्तर से चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लीयरेस का कार्य किया जाएगा।

4. आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति मे यह मानते हुए कि प्रकाशित सूचनाऍ सहीं है अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

12.12.2018

(अनिल कुमार)